न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 45/2018 जिला सीकर ।

श्रवण पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम खोरी ब्रहामण ग्राम पंचायत रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी सीकर, राजस्थान।
2. तहसीलदार सीकर तहसील कार्यालय जिला सीकर, राजस्थान ।
3. ग्राम पंचायत रघुनाथगढ, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रघुनाथगढ तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.08.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एस. रोठौड।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 109/2020 जिला सीकर ।

1. औम प्रकाश पुत्र मोतीराम।
2. बाबूलाल पुत्र राधेश्याम।
3. मनोज पुत्र राधेश्याम।
4. कैलाश पुत्र मोतीराम।
5. रामजीलाल पुत्र मोतीराम

समस्त जाति ब्रहामण निवासी खोरी ब्रहामणान तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार सीकर जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत रघुनाथगढ, जर्ये सरपंच तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.08.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 110/2020 जिला सीकर ।

गुमान सिंह पुत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी ब्रहामणान तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार सीकर जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत रघुनाथगढ, जर्ये सरपंच तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.08.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।

निर्णय

दिनांक–05.10.2021

1. यह तीनो अपीले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 28.8.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 20.7.2018 एवं 31.08.2020 को प्रस्तुत हुई है। उक्त तीनो अपीलों की विषयवस्तु समान होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सीकर द्वारा ग्राम खोरी ब्राहमणान तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2, 4, 10, 11, 12, 20, 731/19, 734/18 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथना ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट /जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में खोरी ब्राहमणान तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2, 4, 10, 11, 12, 20, 731/19, 734/18 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह तीनो अपीले प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 28.08.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. तीनो अपीले प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
5. अपील संख्या 45/2018 में अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1, 2 व 4 के रिकार्डेड एवं कब्जाकाश्त खातेदारी को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना ही पंचायत प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार भी प्रभावित पक्षकार/खातेदार को सुना जाना आवश्यक था। विवादित किये गये रास्ते के सबध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया था कि अपीलांट के सहकब्जेकाश्त के खसरा नम्बर 1 तक निकाले गये रास्ते के संबंध में कोई विवाद नही है परन्तु ग्राम पंचायत रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा खसरा नम्बर 2 में से गलत रूप से रास्ता कटान किये जाने का प्रस्ताव दिया गया जबकि खसरा नम्बर 734/18, 732/19, 731/19, 10, 11, 12 सभी खसराओ में सीमा से लगते हुये गैर मु0 रास्ता निकाले जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन परिस्थितियो में खसरा नम्बर 2 की सीमा के अनुसरण में ही रास्ता दिया जाना न्यायोचित था परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा राजनैतिक प्रभाव के चलते हुये अपीलांट की कब्जे काश्त व आराजी को अनुपयोगी बनाये जाने के उदेश्य से ही खसरा नम्बर 2 के बीचोबीच रास्ता कटान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। किसी भी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता होने पर रास्ता प्राप्त किये जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग होने वाली भूमि का मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु हकदार रहेगा जिससे बचने की नियत से ही इस तथ्यो को छिपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ग्राम पंचायत रघुनाथगढ द्वारा पारित प्रस्ताव के संबंध में प्रभावित काश्तकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया ना ही तहसीलदार सीकर एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके हक व कब्जेशुदा आराजी में बिना व्यवस्थित नक्शे के जानबुझ कर नुकसान पहुचाने की नियत से अपील में वर्णित आराजीयात की भूमि के मध्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

में से विवादित नक्श कटान किये जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त विवादित रास्ते के कुछ दुरी पर ही अन्य रास्ता विवादित आराजीयात में आने जाने हेतु नियत रहा है। अपीलाधीन आदेश वास्तविक एवं विधिविरूद्ध होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2017 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 01.05.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. अपील संख्या 109/2020 एवं 110/2020 में अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को कही भी दर्ज करने की कोई आज्ञा नही की न ही कोई नोटिस व आपत्ति नोटिस दिया गया है। अपने नॉन स्पीकिंग आदेश से अपना निर्णय प्रसारित कर दिया। पत्रावली संख्या 109/2020 के अपीलांटान खसरा नम्बर 10 एवं पत्रावली संख्या 110/2020 के अपीलांट खसरा नम्बर 731/19 के रिकार्डेड खातेदार है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उपस्थित मौजिक व्यक्तियो व पडौसी खातेदारो ने एक साथ बताया कि रास्ते की चौडाई 20 फिट होनी चाहिये परन्तु खातेदारो के हस्ताक्षर रिपोर्ट पर मौजूद नही हैं। पटवारी हल्का ने मौके की जांच के समय अपीलांटस को कोई नोटिस नही दिया गया। मौके पर जो रास्ता प्रस्तावित किया है वह मौके के विपरीत है। विवादित भूमि पर अपीलांटस की फसल बाजरा आदि खडी है एवं पूर्व में भी फसल मौके पर रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार के प्रस्ताव को अकाटय प्रमाण मानकर प्रभावित खातेदारो को नोटिस न देकर निर्णय देने में गंभीर भूल की है। खातेदारी सीतादेवी व राधेश्याम फोत हो चुके है। ऐसी स्थिति में आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2017 का है लेकिन अपीलांटस् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 19.8.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस् के प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस् ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008(2) RRT 1216, 2021(2) RRT 832 पेश किया है।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम खोरी ब्राहमणान तहसील व जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2, 4, 10, 11, 12, 20, 731/19, 734/18 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी एवं प्रस्ताव ग्राम पंचायत रघुनाथगढ के तहसीलदार सीकर ने उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 पारित किया गया है। हम समझते है कि अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

को बिना सुने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत तीनो अपीले स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत तीनो अपीले संख्या 45/2018, 109/2020 एवं 110/2020 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की एक-एक प्रति अपील संख्या 45/2018, 109/2020 एवं 110/2020 की पत्रावलियों के संलग्न की जाये।

9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

5/10/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/10/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner